नाबार्ड
न्यूजलेटर
खण्ड-21 जून 2010 संख्या-3

प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों के लिए राहत उपाय - अल्पावधि (मौकृप) ऋणों का मध्यावधि ऋण में परिवर्तन - वर्ष 2010-11 के लिए पुनर्वित्त नीति - क्षेग्रा बैंक

जिन किसानों की फसलें प्राकृतिक आपदाओं के कारण नष्ट हो गई है उन्हें अल्पावधि कृषि ऋणों को मध्यावधि ऋणों में परिवर्तन और विद्यमान मध्यावधि (परिवर्तन) ऋणों के पुनश्चरणीकरण किश्तों के पुनर्निर्धारण के रूप में राहत प्रदान करने हेतु वर्ष 2009-10 5 की पुनर्वित्त की नीति से संबंधित दिशानिर्देश निम्नलिखित को छोड़कर वर्ष 2010-11 के लिए भी जारी रहेगी.

- वर्ष 2010-11 के लिए अल्पावधि (मौकृप) ऋण सीमाओं की मंजूरी के लिए यथा निर्धारित क्षेग्रा बैंकों के लिए पात्रता मानदंड अल्पावधि (मौकृप) ऋणों को मध्यावधि ऋणों में परिवर्तित करने तथा विद्यमान मध्यावधि (परिवर्तन) ऋणों के पुनश्चरणीकरण/ किश्तों के पुनर्निर्धारण के लिए भी लागू होंगे.
- मध्यावधि परिवर्तन/ पुनश्चरणीकरण/ किश्तों के पुनर्निर्धारण के लिए नाबार्ड द्वारा क्षेग्रा बैंकों को प्रदान की जाने वाली पुनर्वित्त सहायता पर ब्याज की दर के बारे में यथासमय सूचित किया जाएगा.

अन्नेवारी की घोषणा/ अन्नेवारी प्रमाणपत्र का प्रस्तुतीकरण/ राज्य सरकार द्वारा भू-राजस्व में छूट, परिवर्तन/ पुनश्चरणीकरण के अंतर्गत शामिल की जाने वाली फसलों से संबंधित अन्य सभी शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी.

4. मूलधन की चुकौती और ब्याज के भुगतान में चूक होने पर क्षेग्रा बैंक द्वारा नाबार्ड को चूक बने रहने की अवधि के लिये चूक की राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से ब्याज अदा करना होगा. दंडात्मक ब्याज दरें समय-समय पर होने वाले संशोधनों के अधीन होंगीं.
(संदर्भ सं.एनबी.पीसीडी(पॉलिसी)/436/ए.10/2010-11 दिनांक 11 जून 2010, परिपत्र सं.117/पीसीडी-07/2010)

प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों के लिए राहत उपाय - अल्पावधि (मौकृप) ऋणों का मध्यावधि ऋण में परिवर्तन - वर्ष 2010-11 के लिए पुनर्वित्त नीति - रास बैंक/ जिमस बैंक

जिन किसानों की फसलें प्राकृतिक आपदाओं के कारण नष्ट हो गई है उन्हें अल्पावधि कृषि ऋणों को मध्यावधि ऋणों में परिवर्तन और विद्यमान मध्यावधि (परिवर्तन) ऋणों के पुनश्चरणीकरण किश्तों के पुनर्निर्धारण के रूप में राहत प्रदान करने हेतु वर्ष 2009-10 की पुनर्वित्त की नीति से संबंधित दिशानिर्देश, निम्नलिखित को छोड़कर, वर्ष 2010-11 के लिए भी जारी रहेगी.

(i) वर्ष 2010-11 के लिए अल्पावधि (मौकृप) ऋण सीमाओं की मंजूरी के लिए यथा निर्धारित रास बैंक/ जिमस बैंकों के लिए पात्रता मानदंड अल्पावधि (मौकृप) ऋणों को मध्यावधि ऋणों में परिवर्तित करने तथा विद्यमान मध्यावधि (परिवर्तन) ऋणों के पुनश्चरणीकरण/ किश्तों के पुनर्निर्धारण के लिए भी लागू होंगे.

(ii) मध्यावधि परिवर्तन/ पुनश्चरणीकरण/ किश्तों के पुनर्निर्धारण के लिए नाबार्ड द्वारा रास बैंक को प्रदान की जाने वाली पुनर्वित्त सहायता पर ब्याज की दर के बारे में यथासमय सूचित किया जाएगा.

अन्नेवारी की घोषणा/ अन्नेवारी प्रमाणपत्र का प्रस्तुतीकरण/ राज्य सरकार द्वारा भू-राजस्व में छूट, परिवर्तन/ पुनश्चरणीकरण के अंतर्गत शामिल की जाने वाली फसलों से संबंधित अन्य सभी शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी.

मूलधन की चुकौती और ब्याज के भुगतान में चूक होने पर रास बैंक द्वारा नाबार्ड को चूक बने रहने की अवधि के लिये चूक की राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से ब्याज अदा करना होगा. दंडात्मक ब्याज दरें समय-समय पर होने वाले संशोधनों के अधीन होगी.
(संदर्भ सं.एनबी.पीसीडी(पॉलिसी)/434/ए.10/2010-11 दिनांक 11 जून 2010, परिपत्र सं.116/पीसीडी-06/2010)

नाबार्ड द्वारा अलग-अलग व्यक्तियों/ हथकरघा बुनकर समूहों/ प्रमुख (मास्टर) बुनकरों, निष्क्रिय/ बंद पड़ी बुनकर समितियों के बुनकर सदस्यों, परस्पर सहयोग करने वाली सहकारी समितियों, सहकारी क्षेत्र के बाहर की समितियों और उत्पादक समूह कम्पनियों की कार्यशील पूंजी और विपणन आवश्यकताओं के वित्तपोषण के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 21(1)(iv) और धारा 21(1) (v) के साथ पठित धारा 21 (4) के अंतर्गत वाणिज्य बैंकों को अल्पावधि ऋण सीमाएं-2010-11 के लिए नीति.

इस क्षेत्र के महत्त्व और बुनकर संस्थाओं की कार्य पद्धति में हो रहे विकास के परिप्रेक्ष्य में, बुनकरों के लिए अल्पावधि ऋण सीमाओं की मंजूरी के लिए नीतिगत मार्गनिर्देशों की समीक्षा की गई और अब यह निर्णय लिया गया है कि अलग-अलग व्यक्तियों/ हाकिरघा बुनकर समूहों/ प्रमुख (मास्टर) बुनकरों, निष्क्रिय/ बंद पड़ी बुनकर समितियों के बुनकर सदस्यों, कार्यशील पूंजी और विपणन आवश्यकताओं, परस्पर सहयोग करने वाली सहकारी समितियों, सहकारी क्षेत्र के बाहर की समितियों और उत्पादक समूह कंपनियों का कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं हेतु वाणिज्य बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों के लिए उन्हें पुनर्वित्त सहायता प्रदान की जाए.

- वाणिज्य बैंकों को प्रदान की जाने वाली अल्पावधि-बुनकर ऋण सीमा की प्रमात्रा वर्ष 31 मार्च 2009 की स्थिति में बैंक की निवल अनर्जक आस्तियों के आधार पर निर्धारित की जाएगी.
- नाबार्ड द्वारा वाणिज्य बैंकों को 7.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर अथवा ऐसी दर पर पुनर्वित्त सहायता उपलब्ध होगी जो समय-समय पर नाबार्ड द्वारा निर्धारित की जाएगी.
- मूलधन की चुकौती और ब्याज की अदायगी में चूक होने की स्थिति में, वाणिज्य बैंक द्वारा नाबार्ड को चूक की अवधि के लिए, चूक की राशि पर 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज अदा करना होगा. दण्डात्मक ब्याज की दरें समय-समय पर संशोधन के अधीन हैं.
- यह प्रस्ताव किया जाता है कि योजना राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 21(1)(iv) और धारा 21(1)(v) के साथ पठित धारा 21(4) के अंतर्गत वाणिज्य बैंकों को अल्पावधि सहायता के रूप में होगी. योजना वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से अर्थात् 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2011 तक परिचालन में रहेगी.
- बैंक अल्पावधि (बुनकर) ऋण सीमाओं की मंजूरी के लिए संलग्न प्रारूप के अनुसार सभी तरह से पूर्ण अपने आवेदन नाबार्ड के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को भेजें ताकि वर्ष 2010-11 के लिए ऋण सीमाएं समय पर मंजूर की जा सकें.

(संदर्भ सं.एनबी.पीसीडी-पॉलिसी (बुनकर)/356/ए-7(पी)/2010-11 दिनांक 23 जून 2010. परिपत्र सं.121/ पीसीडी-08/ 2010)

<u>ग्रामीण घरों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं हेतु सौर उर्जा उपकरण के लिए वित्तीय सहायता</u>

ग्रामीण घरों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं के लिए सौर उर्जा उपकरणों के वित्तपोषण से संबंधित परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए नाबार्ड ने एक पुनर्वित्त योजना तैयार की है. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सूचित किया गया है कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार के वैकल्पिक उर्जा आधारित परियोजनाओं के वित्तपोषण की संभावनाओं का पता लगाए. क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों के शाखाओं के परिसरों में सौर उर्जा का उपयोग बेहतर तरीके से किया जा सकता है जिसे कुछ क्षेग्रा बैंकों के मामले में काफी प्रभावी पाया गया है. आर्यावर्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा ' सौर उर्जा का वित्तपोषण और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखाओं परिसरों के लिए सौर उर्जा का उपयोग' पर तैयार की गई डॉक्यूमेन्टरी फिल्म की सीडी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को ग्रामीण समुदाय तथा स्टाफ में उसके लर्निग के प्रचार-प्रसार हेतु भेजी गई. सौर आवास प्रकाश प्रणाली परियोजना की लेंडिंग के संबंध में उक्त सीडी में मॉडल का ब्यौरा दिया गया है. हम आशा करते है कि यह सीडी सौर उर्जा परियोजनाओं के ऋण वितरण के मामले में उपयोगी सिद्ध होगी.

(संदर्भ सं.राबैं.आईडीडी.आरआरसीबीडी.364/316-एमआईएससी/2010-11 दिनांक 01 जून 2010. परिपत्र सं.111/ आईडीडी-07/2010)

परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन पर मार्गदर्शी नोट

1. सभी लेखा इकाइयों की सुविधा के लिए निरीक्षण विभाग, प्रधान कार्यालय ने ''**नाबार्ड में परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन पर मार्गदर्शी नोट**'' नाम की एक पुस्तिका तैयार की है. संबंधित मार्गदर्शी नोट में परिचालनगत जोखिम और उसे कम करने के विभिन्न तत्वों का ब्यौरा दिया गया है.
2. इस मार्गदर्शी नोट से सीएसी और क्षेत्रीय कार्यालय के अन्य अधिकारियों को विभिन्न परिचालनात्मक जोखिम की पहचान व उन्हें कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाने में मदद मिलेगी. आगे से, जोखिमों की पहचान एवं निर्धारण और उन्हें कम करने हेतु किए गए प्रयासों का उल्लेख तिमाही विवरणी में प्रतिबिंबीत होना अनिवार्य है.

3. लेखा इकाइयों द्वारा इस मार्गदर्शी नोट पर अमल करने से बेहतर परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन व्यवस्था, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, आकस्मिक आयोजना और प्रभावी सूचना प्रणाली विकसित हो सकेगी.

(परिपत्र सं. एनबी/आईडी/385/आरएमसीबी-1/2010-11 दिनांक 18 जून 2010 परिपत्र संख्या 119/ आईडी - 02 /2010)

संपादकीय बोर्ड - एस.के.मित्रा, अमरेश कुमार, पी.एल.बेहेरा, डॉ.प्रकाश बक्षी और वी.रामकृष्ण राव

बी.जयरामन द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, बांद्रा-कुर्ला काम्प्लेक्स, मुंबई- 400 051के लिए संपादित और प्रकाशित